संख्या 251 /उन्तीस (2)/09–2(14पे0)/2009

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2009

विषय :– ग्रीष्मऋतु 2009 में पेयजल व्यवस्था हेतु तुरन्त राहत के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4953/अप्रे–03/सूखा राहत कार्य/2008–09 दिनांक 26.02.2009 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना के अन्तर्गत ग्रीष्मऋतु में पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकरों की मरम्मत, टैंकरो/जनरेटर हेतु ईंधन की आपूर्ति, अभावग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों को किराये पर लिये जाने हेतु, पम्पिंग प्लान्टों की मरम्मत, निष्क्रिय नलकूपों को चालू करना, मिनी नलकूप को चालू करना एवं पेयजल योजनाओं के पाइप लाइन विस्तार/सरेखन बदलने का कार्यो हेतु तदर्थ आधार पर संलग्न विवरणानुसार रू0 453.69 लाख (रू0 चार करोड़ तिरपन लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एव महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

3. चूंकि मुख्यतः रखरखाव व टैंकरों से पेयजल आपूर्ति हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है अतः इसके सापेक्ष जल संस्थान को कोई सैन्टेज प्रभार अनुमन्य नही होगा।

4. योजना में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

.....2

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार नही होगा।

12. भविष्य में सामान्य रखरखाव एवं संचालन हेतु संस्थान efficiency norms तथा संस्थान के आय व व्यय के आधार पर अन्तर की राशि के लिए अनुदान हेतु धनावंटन के लिए शासन को सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत कर नीतिगत निर्यण एवं विधायी स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे एवं तदनुसार ही धनावंटन प्रस्तावों पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा, आपाताकालीन में टैकरों से जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए भी तदनुसार शासन से नीतिगत निर्यण व विधायी स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे एवं तभी ऐसे प्रस्तावों पर भी अग्रेत्तर विचार किया जायेगा।

13. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनागत-102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-03-ग्रामीण पेयजल राज्य सेक्टर-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-1437/XXVII (2)/09 दिनांक 25 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एम0एच0 खान)
सचिव

पृ0सं0 2510/उन्तीस (2)/09-2(14पे0)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूँ।
3. जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ।
7. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निजी सचिव, मा0 पेयजल मन्त्री जी के अवलोकनार्थ।
10. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0 251 /उन्तीस(2)/09–2(14पे0)/2009
दिनांक 26 मार्च, 2009 का संलग्नक।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यों का विवरण	स्वीकृत की जा रही धनराशि
01	02	03
01	टैंकरों की मरम्मत	15.00
02	टैंकरों/जनरेटर हेतु ईंधन की आपूर्ति	40.83
03	अभावग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों को किराये पर लिये जाने हेतु	60.00
04	**पम्पिंग प्लान्टों की मरम्मत**	
	(1) पम्पिंग प्लान्ट	100.00
	(2) खराब पम्पिंग प्लान्ट	
05	निष्क्रिय नलकूपों को चालू करना	93.46
06	मिनी नलकूप को चालू करना	84.40
07	पेयजल योजनाओं के पाइप लाइन विस्तार/संरेखन बदलने का कार्य	60.00
	योग :–	453.69

(रू0 चार करोड़ तिरपन लाख उन्हत्तर हजार मात्र)

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव